

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ

(पीठासीन अधिकारी - त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 34/2022

दायर दिनांक - 02.03.2022

उनवान

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक
2. हनुमानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक
3. मुकुटसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक
4. केदार सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक
5. सरदार सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी पलेई तहसील निवाइ जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाइ

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री सीताराम पांचाल अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं० 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 05.04.2022

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ग्राम पलेई में स्थित आराजी खसरा नम्बर 532/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख०न० 532/8 रकबा 4 बीघा, ख०न० 1592/4 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस-पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं

दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्बत 2072-75 खाता संख्या 175 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम पलेई की आराजी खसरा नम्बर 532/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 532/8 रकबा 4 बीघा, ख0न0 1592/4 रकबा 5 बिस्वा भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रू. 500/- वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 05.04.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई